

6/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय करीबेन उपो। प्रविधि
सो. 1.12.25 को वक्त लाली - मादालय से उपरिष्क
नहीं इन्ने बिन्ने एठ नरफा कारकिरी अमल से लई
पानी हो पत्रावली वान्ते जबाब ले आदि
दिनांक 11.12.2025 को पेश है।

11/12/25

वकुलाय करीबेन उपरिष्क
पत्रावली आयन्दा वामने
दिनांक 5.1.26 को पेश है।

सहायक कलेक्टर, श्रीकलेक्टर कार्यालय

05/12/26

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय करीबेन उपो। अधिकार
हार्थी उपो। अहार्थीगिण के खिलाफ एरूपक्षीय कार्यवाही
जैर। अधिकार हार्थी द्वारा निवेदन किया गया
कि उक्त एरूपक्षीय में स्टेट के जबाब की
आवश्यकता नहीं है। अहार्थीगिण के खिलाफ
एरूपक्षीय कार्यवाही जैर है अतः हीमान जी
एरूपक्षीय सुनी जावे।
अहार्थीगिण सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया
गया। एरूपक्षीय 212 आर्टिकल पर तीनों बिंदु
सथम इन्ने मामला, सुविधा का सुलभ व

सहायक कलेक्टर, श्रीकलेक्टर कार्यालय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अप्रैल 1947 के पत्र विवेचन किया गया। उक्त वादों में अग्रिम पर प्राथमिक रिपोर्टों के आधार पर तीनो किंडों प्राथमिक में पक्ष में स्थित होते ही अतः प्राथमिक पत्र 212 अदालत स्वीकार किया जाकर वादों में अग्रिम पर जारी T.I. गांव हिमनाथपुरे क्र. नं. 727/267, 733/368, 739/504, 745/411, 749/422 कुल त. उ. 7168 हे. अग्रिम पर अग्रिम व रिपोर्टों की आधारस्थिति अल वादों में निष्पत्ति पर अभाव रसी जाती है विस्तृत निर्णय लेखक से विचारणा जाकर शामिल हो। अग्रिम की कुल सुधार होकर फाद त. मील, न. मील 1947 में जारी हो।</p>	